

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 203ए/14

संस्थापन दिनांक : 17.11.2014

- 1.रामबाबू पुत्र रामेश्वरदयाल स्वर्णकार उम्र 62 साल
- 2.गोविन्दनारायण पुत्र रामेश्वरदयाल स्वर्णकार उम्र 57 साल
- 3.मुकुटबिहारी पुत्र रामेश्वरदयाल स्वर्णकार उम्र 45 साल निवासीगण कस्बा मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

——वादीगण

बनाम

- 1.कृपालसिंह पुत्र उत्तमसिंह यादव उम्र 46 साल निवासी नया बस स्टैण्ड मौ परगना गोहद गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 2.प्रेमनाथ पुत्र बुआदत्त उम्र 71 साल जाति ब्राम्हण निवासी वार्ड नं0 13 मौ परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 3.म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

——प्रतिवादीगण

निर्णय

(आज दिनांक..... को पारित)

1. यह वाद भूमि खसरा क्रमांक 190 रकवा 0.10 है0 स्थित ग्राम खेरिया जल्लू तहसील गोहद जिला भिण्ड (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा) पर वादीगण के स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा, प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध विवादित भूमि पर वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
2. वादपत्र के तथ्यानुसार विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं

अधिपत्य है जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का कोई संबंध नहीं है। ग्राम खेरिया जल्लू में बंदोवस्त हो चुका है और बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा 0.314 है 0 खसरा संवत 2038 लगायत 2042 प्र०पी-5 में शासकीय भूमि अंकित है जिसका बंदोवस्त के बाद सर्वे क्रमांक 186 हो गया है। संवत 2043 खसरे में प्रतिवादीगण ने पटवारी से मिलकर प्र०क्र० 24/84-85-बी/121 में प्रतिवादी प्रेमनाथ ने भूमि स्वामी होने का गलत इन्द्राज करा लिया है। जबकि उक्त प्रकरण दायरा रजिस्टर प्र०पी-4 में ग्राम बहेरा के भंवरसिंह, हरीराम, और शोभाराम पुत्रगण रामप्रसाद के नाम से इन्द्राज है। अतः खसरा क्रमांक 186 पर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने शासकीय भूमि पर फर्जी इन्द्राज करा लिया है। दिनांक 26.09.14 को प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में बिना स्वत्व व अधिपत्य के बयनामा प्र.डी.5 निष्पादित किया है और बयनामा प्र.डी.5 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने नामांतरण हेतु तहसील मौ में कार्यवाही की है। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने न्यायालय नायब तहसीलदार मौ में प्र०क्र० 15/92-93/बी121 से बटांकन की कार्यवाही की है और दिनांक 23.11.92 को बटांकन करा लिया है जिसके विरुद्ध वादीगण ने प्र०क्र० 35/92-93 समक्ष न्यायालय एस.डी.ओ. में अपील प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 02.11.93 प्र०पी-6 से नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 23.11.92 निरस्त किया गया है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 2 ने बयनामा प्र.डी.5 में निरस्त आदेश दिनांक 23.11.92 का हवाला दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 फर्जी इन्द्राज व बयनामे प्र०डी-5 के आधार पर विवादित भूमि पर अवैध कब्जा जमाना चाहते हैं। जबकि खसरा क्रमांक 186 वादग्रस्त भूमि से उत्तर दिशा में काफी दूरी पर स्थित है और वादग्रस्त खेत सड़क से लगा हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश की जिसकी रिपोर्ट वादीगण ने एस.डी.एम. गोहद व थाना प्रभारी मौ को की। पुनः दिनांक 18.10.14 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी। तब नायब तहसीलदार मौ व पुलिस थाना मौ में भी रिपोर्ट की गयी। अतः विवादित भूमि पर स्वत्व व अधिपत्य की घोषणा और प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

3. प्रतिवादी क्र० 01 व 02 ने जबावदावा में वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि विवादित भूमि का बटांकन वर्ष 1992 में हुआ है और वादीगण बंदोवस्त के दौरान हुई त्रुटि का लाभ लेकर प्रतिवादीगण के स्वत्व का सर्वे क्रमांक 186 अर्थात् सर्वे क्रमांक 131/4 पर कब्जा करना चाहते हैं। तब यह वाद 24 वर्ष बाद पेश किए जाने से परिसीमा के बाहर है। वादी ने इस तथ्य को छिपाया है कि उक्त भूमि के किस सर्वे नंबर पर कितने रकवे पर किसकी खेती हो रही है। वादी ने कब्जे की सहायता नहीं चाही है इसलिए दावा पोषणीय नहीं है। धारा 257 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अधीन राजस्व न्यायालय को ही प्रकरण के निराकरण तक अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आदेश दिनांक 28.10.14 प्र०पी-1 जो प्र०क्र० 33/2014-15बी121 में तहसीलदार गोहद द्वारा पारित किया गया है कि वह किस प्रावधान व पद के अधीन पारित किया गया है इसका उल्लेख नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है उस न्यायालय द्वारा आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार से षडयंत्र कर बिना प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाये आदेश दिनांक 28.10.14 प्र०पी-1 पूर्व दिनांक में पारित किया है जो प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पने के लिए कराया गया है। प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और ना ही सूचना

दी गयी है इसलिए आदेश दिनांक 28.10.14 प्र0पी-1 प्रतिवादीगण के मुकाबले शून्य है। स्वमेव निगरानी का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। आवेदन पत्र व आदेश प्र0पी-1 में तारीखों में ओवरराइटिंग है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से पुरानी तिथियों में अवैध आदेश पारित किया गया है।

4. जवाबदावे में यह भी अभिवचन किया है कि विवादित भूमि बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 131 का भाग है। सर्वे क्रमांक 131 में ग्रामवासियों को शासन द्वारा पट्टे प्रदान किए गए। तब न्यायालय नायब तहसीलदार मौ द्वारा प्र0क0 15/1991-92बी121 से सर्वे क्रमांक 131 के खातेदारों के मध्य मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार बंटान आदेश दिनांक 23.11.92 को पारित किया गया। आदेश का अमल भी खसरे में किया जा चुका है और प्रतिवादीगण की जानकारी में उक्त आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। जिसका राजस्व अभिलेख व नक्शे में इन्द्राज किया गया है। सर्वे क्रमांक 131/3 रकवा 0.105 है0 वादीगण को समान भाग से प्राप्त हुआ था जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 193 रकवा 0.10 है0 निर्मित हुआ। सर्वे क्रमांक 131/4 रकवा 0.314 है0 प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रेमनाथ को प्राप्त हुआ। जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 186 रकवा 0.31 है0 कायम हुआ। लेकिन बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त कर्मियों ने भूलवश नवीन नक्शे का निर्माण करते समय सर्वे क्रमांक 186 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 193 अंकित कर दिया और सर्वे क्रमांक 193 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 186 अंकित कर दिया। जबकि अधिपत्य बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति के अनुसार ही रहा। सर्वे क्रमांक 186 को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से जर्ने रजिस्टर्ड बयनामा प्र.डी.5 दिनांक 26.09.14 से क़य किया। उक्त भूमि शासकीय भूमि नहीं थी। बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 2 को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई है। सर्वे क्रमांक 193 भी फुन्दी को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुआ था और फुन्दी से वादीगण ने खरीदी है। उसी के अनुसार राजस्व कागजात में इन्द्राज चला आ रहा है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की गयी है और उसी का कब्जा है व खेती हो रही है। वादीगण बंदोवस्त में हुई गलती की आड़ में प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं। वादीगण सर्वे क्रमांक 131 के मिन रकवा पर उत्तर दिशा की तरफ खेती करते चले आ रहे हैं और प्रतिवादीगण का कब्जा सर्वे क्रमांक 131 के दक्षिण दिशा में मिन रकवा पर है जहां प्रतिवादीगण ने नलकूप भी खनन कराया है। वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और बाजार मूल्य से न्यायशुल्क संदाय नहीं किया है। अतः वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।
5. प्रकरण में प्रतिवादी क्र 3 एक पक्षीय रहा है जिसके द्वारा वादोत्तर पेश नहीं किया गया है।
6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्न विरचित किए गए हैं। जिन पर प्राप्त विनिश्चय प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जा रहा है।

वादप्रश्न

विनिश्चय

1. क्या भूमि खसरा क्रमांक 193 रकवा 0.1 है0 स्थित ग्राम खेरिया जल्लू तहसील गोहद जिला भिण्ड पर वादीगण का स्वत्व है ?
2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्थापित आधिपत्य है ?

3. क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?
4. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?
5. क्या बंदोवस्त के दौरान निर्मित नवीन नक्शे में सर्वे क्रमांक 186 के स्थान पर विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 अंकित कर दिया गया है ?
6. सहायता एवं व्यय ?
7. क्या धारा 257 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अधीन इस न्यायालय को प्रकरण की श्रवण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है ?

// वादप्रश्न क्रमांक 01 पर सकारण निष्कर्ष //

7. वादी गोविंद व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा क 193 रकबा 0.10 है0 का वह और उसके भाई रामबाबू मुकुटबिहारी भूमि स्वामी है। ग्राम खेरिया जल्लू में बंदोबस्त हो चुका है। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में कथन किया है कि सर्वे क्रमांक 131 मिन रकबा दस विश्वा फुन्दी नाई से खरीदा था। जिसका बयनामा प्र.डी.5 उसने पेश नहीं किया है।
8. वादीगण ने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि खसरा कं0 193 का खसरा प्र0पी-1 व खतौनी प्र0पी-2 वर्ष 2013-14 प्रस्तुत किया है। जिसमें विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 वादीगण के स्वत्व में उल्लिखित है। वादीगण ने भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र0पी-10 प्रस्तुत की है जिसमें भी वादीगण उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 193 के भूस्वामी उल्लिखित हैं। बटांकन पंजी प्र0पी-7 में भी सर्वे क्रमांक 193 वादीगण को ही प्राप्त होना उल्लिखित है। इस तथ्य के खण्डन में प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि का वह विधिवत रिकार्डेड भूमिस्वामी है।
9. विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 रकबा 0.10 है0 राजस्व अभिलेख में वादीगण के स्वत्व में उल्लिखित है और उक्त सर्वे क्रमांक 193 वादीगण के स्वत्व में न होने के संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 वादी के स्वत्व में होने के बारे में वादी गोविन्द व. सा.1 द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन भी प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं। प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति है कि सर्वे क्रमांक 193 बंदोवस्त में नक्शे में गलत स्थान पर दर्ज किया गया है। परन्तु सर्वे क्रमांक 193 पर वादी का स्वत्व न होने का प्रतिवादीगण ने भी अभिवचन में स्पष्ट खण्डन नहीं किया है। अपितु अभिवचन किया है कि सर्वे क्रमांक 193 फुन्दी को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुआ था और फुन्दी से ही वादीगण ने विवादित भूमि खरीदी है। अतः विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व होना प्रमाणित होता है।
10. अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 02 व 05 पर सकारण निष्कर्ष //

11. वादी गोविंद व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि बंदोबस्त के पहिले का सर्वे क्रं0 131 मिन रकवा 0.314 है0 खसरा संवत् 2038 लगायत 2042 में शासकीय भूमि अंकित है। खसरा संवत् 2043 में प्रतिवादीगण ने तत्कालीन पटवारी से साजिश कर प्रकरण क 24/84-85/बी/121 से प्रतिवादी प्रेमनाथ ने भूमिस्वामी का गलत इन्द्राज करा लिया है। क्योंकि उक्त प्रकरण क्रमांक 24/84-85/बी/121 दायरा रजिस्टर में बडेरा ग्राम के भमरसिंह, हरीसिंह, शोभाराम पुत्रगण रामप्रसाद के नाम का इन्द्राज है। पटवारी ने खसरा क्रमांक 186 पर प्रतिवादी का बिना स्वत्व व कब्जे के शासकीय भूमि पर फर्जी इन्द्राज कर दिया है। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने इस संबंध में दायरा रजिस्टर वर्ष 1984-85 वृत्त मौ बी 121 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-4 प्रस्तुत की है। जिसमें प्रकरण क 24 रजिस्टर में बडेरा ग्राम के भमरसिंह, हरीसिंह, शोभाराम पुत्रगण रामप्रसाद के नाम का इन्द्राज है।
12. वादी गोविन्द व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उन्होंने न्यायालय तहसीलदार गोहद के समक्ष फर्जी इन्द्राज बाबत शिकायत की थी जिस पर से जांच की जाकर प्र0क0 33/2014-15/बी121 में पारित आदेश प्र0पी-3 दिनांक 28.10.14 से सर्वे क्रमांक 186 रकवा 0.31 पर प्रतिवादी प्रेमनाथ की प्रविष्टि निरस्त की गयी है और भूमि चरनोई काबिल काश्त की गयी है। इस संबंध में वादी ने उक्त आदेश प्र0पी-3 प्रस्तुत किया है जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 131/4 रकवा 0.314 है0 जो वर्तमान में सर्वे क्रमांक 186 रकवा 0.31 है0 अभिलेख में दर्ज है उसमें प्रतिवादी प्रेमनाथ की प्रविष्टि निरस्त कर भूमि चरनोई काबिज काश्त अंकित की गयी है।
13. कृपालासिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि तहसीलदार से मिलकर वादीगण ने अधिकारविहीन छलकपट पूर्वक आदेश कराया है। जोकि उसके मुकाबले शून्य है। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 और 13 में इस आशय के सुझावों से इंकार किया है कि उसने तहसीलदार श्री आर0के0 दुबे से अवैध आदेश प्र0पी-3 प्राप्त किया है।
14. कृपालसिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में कथन किया है कि प्रतिवादी प्रेमनाथ के पास भूमि पट्टे से आई थी। पट्टा या पट्टे का आदेश उसने पेश नहीं किया है।
15. प्रतिवादी ने भूमि सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा 0.315 है0 का खसरा संवत् 2048 लगायत 2052 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी-4 प्रस्तुत की है जिसमें उक्त भूमि प्रतिवादी प्रेमनाथ के स्वत्व में उल्लिखित है और कैफियत में प्र0क0 15/91-92बी121 सर्वे क्रमांक 131/4 आदेश दिनांक 23.11.92 से दर्ज होना वर्णित किया गया है। वादी गोविन्द व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने न्यायालय नायब तहसीलदार मौ के प्र0क0 15/92-93-बी121 की कार्यवाही कर दिनांक 23.11.92 को बटांकन करा लिया है। जिसकी अपील वादीगण ने न्यायालय एस.डी.ओ. गोहद के समक्ष की जो प्र0क0 35/92-93अ.म. पर संचालित थी और आदेश दिनांक 02.11.93 से अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.11.92 निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में वादी

ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्र०पी-6 दिनांकित 02.11.93 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। जिसके अनुसार सभी सहखातेदारों को बिना पक्षकार बनाये व बिना सूचना दिए सर्वे क्रमांक 131 का बटांकन किए जाने से बटांकन का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है। कृपालसिंह प्र.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि प्रतिवादी प्रेमनाथ का नाम निरस्त होने की उसे जानकारी नहीं है और आदेश प्र०पी-6 के द्वारा बटांकन निरस्त होने की उसे जानकारी नहीं है।

16. वादी गोविंद व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि बंदोबस्त में सर्वे क्रं० 131 के मिन रकबे का सर्वे क्रं० 186 हो गया है। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को है।

17. वादीगण ने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि सर्वे क्रं० 131 मिन रकवा 0.314 है० का खसरा प्र०पी-5 संवत् 2038 लगायत 2042 प्रस्तुत किया है जिसमें भूमि खसरा क्रमांक 131 मिन रकवा 0.314 है० चरनोई काबिल काश्त अंकित है। उक्त खसरा प्र०पी-5 में सर्वे क्रमांक 131 के चार मिन क्रमांक अलग-अलग रकबे के अंकित है। वादीगण ने री-नंबरिंग पर्चा प्र०पी-9 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 131 का नया नंबर 186 सर्वे क्रमांक 131/3 का 188, 131/3 का 193, बंदोवस्त उपरांत बना है।

18. प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 186 का बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 131/4 रकवा 0.314 है० था जिसका बंदोवस्त के बाद नवीन सर्वे क्रमांक 186 निर्मित हुआ। प्रतिवादी ने भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्र०डी-1 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा 0.314 है० प्रतिवादी प्रेमनाथ के स्वत्व में उल्लिखित है। प्रतिवादी ने भूमि सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा 0.315 है० का खसरा संवत् 2048 लगायत 2052 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी-4 प्रस्तुत की है जिसमें उक्त भूमि प्रतिवादी प्रेमनाथ के स्वत्व में उल्लिखित है।

19. वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 131 के बंदोवस्त में चार सर्वे क्रमांक 188, 191, 186, 193 बने। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में यह बताने में असमर्थता बतायी है कि सर्वे क्रमांक 131/3 से सर्वे क्रमांक 193 बना। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में इंकार किया है कि बंदोवस्त के दौरान नक्शे में त्रुटि के कारण सर्वे क्रमांक 186 के स्थान पर 193 अंकित हो गया है।

20. कृपालसिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि बंदोवस्त में हुई गलती की उन्होंने तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की है लेकिन कार्यवाही का कोई दस्तावेज उन्होंने प्रकरण में पेश नहीं किया है और पैरा 8 में कथन किया है कि बंदोवस्त अधिकारी कलेक्टर है और कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही नहीं की है।

21. अतः प्रतिवादी प्रेमनाथ को सर्वे क्रमांक 186 कैसे प्राप्त हुआ यह प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है। खसरा प्र०पी-4 में आदेश दिनांक 23.11.92 जिससे प्रतिवादी प्रेमनाथ को भूमि प्राप्त हुई है वह आदेश प्र०पी-6 के द्वारा निरस्त

कर बटांकन अवैध माना गया है और आदेश प्र०पी-3 के द्वारा प्रतिवादी प्रेमनाथ का उक्त सर्वे क्रमांक 186 पर जोकि बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 131/4 था।

22. वादी गोविंद व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि फर्जी इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रेमनाथ ने दिनांक 26.09.14 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में बिना स्वत्व व कब्जा के बयनामा प्र.डी-5 कर दिया है और बयनामे के आधार पर प्रतिवादी ने नामांतरण हेतु तहसील व टप्पा मौ में कार्यवाही की है। आदेश प्र०पी-6 के द्वारा बटांकन निरस्त किए जाने के बाद भी उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर भी प्रतिवादी क्रमांक 2 ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में अवैधानिक बयनामा प्र.डी-5 किया है। प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि उसने रिकार्डेड भूमिस्वामी प्रतिवादी प्रेमनाथ से विवादित भूमि को विधिवत रजिस्टर्ड बयनामा प्र.डी-5 से क्रय किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने विक्रय पत्र प्र०डी-5 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 186 जिसका बंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 131/4 था, को प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 द्वारा क्रय किया गया है। वादी गोविंद व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी प्रेमनाथ ने भूमि सर्वे क्रमांक 186 कृपालसिंह प्र.सा.1 को विक्रय कर दी है।

23. नक्शे के संबंध में कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि बंदोवस्त के दौरान सहवन मानचित्र में नवीन सर्वे क्रमांक 186 मौके की स्थिति के विपरीत निर्मित हुआ है। जिसकी जानकारी होने पर विधिवत कार्यवाही की गयी है। जिस रंजिश के कारण वादीगण ने यह कार्यवाही की है। वादीगण ने रोड के किनारे प्रतिवादी की भूमि को हड़पने के लिए कार्यवाही की है क्योंकि सर्वे क्रमांक 193 की भूमि उसके भूमि सर्वे क्रमांक 186 के पीछे है और सर्वे क्रमांक 186 सड़क से लगा हुआ है। प्रतिवादी ने बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 131 का नक्शा प्र०डी-3 और बंदोवस्त के पश्चात सर्वे क्रमांक 193 और 186 का नक्शा प्र०डी-2 प्रस्तुत किया है। वादी गोविंद व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में इंकार किया है कि बंदोवस्त के दौरान सर्वे क्रमांक 193 नक्शे में मौके की स्थिति के विपरीत बना है। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि बंदोवस्त के समय हुई त्रुटि के संबंध में एस. डी.एम. के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

24. अधिपत्य के संबंध में वादी गोविंद व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा क्र 193 रकबा 0.10 हे का वह और उसके भाई रामबाबू, मुकुटबिहारी अधिपत्यधारी है। विवादित भूमि से प्रतिवादी प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 व प्रेमनाथ का कोई संबंध नहीं है। हुकुमसिंह ने भी मुख्यपरीक्षण में वादी गोविंद व.सा.1 के कथन का समर्थन किया है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 193 पर वादीगण अधिपत्यधारी है और उन्हीं की खेती हो रही है। प्रतिवादी प्रेमनाथ व प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 का इस खेत से कोई संबंध नहीं है और ना ही उन्होंने कभी खेती की है। उसका खेत रामबाबू के खेत से लगा हुआ है। प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि प्रतिवादी प्रेमनाथ से क्रय दिनांक से विवादित भूमि पर उसका कब्जा है जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 186 पर वादीगण का कोई अधिपत्य नहीं है। वादी गोविंद व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में सर्वे क्रमांक 186 से स्वयं का संबंध होने से इंकार किया है परन्तु उक्त सर्वे क्रमांक 186 पर प्रतिवादीगण के कब्जे से भी इंकार किया है। हुकुमसिंह ने सर्वे क्रमांक 194 पर वादी का अधिपत्य

होना बताया है और सर्वे क्रमांक 186 पर किसका अधिपत्य है यह बताने में असमर्थता बतायी है। सर्वे क्रमांक 193 के चारों ओर क्या है यह बताने में असमर्थ रहा है। हुकुमसिंह ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में विवादित भूमि पर बटाई से 20 वर्ष से खेती करना बताया है जबकि इस संबंध में मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है और सर्वे क्रमांक 194 भी वादी के बताये अनुसार ही सर्वे नंबर बताना बताया है। कृपालसिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में कथन किया है कि वर्तमान व अक्स में दर्शित सर्वे क्रमांक 186 पर उसका कब्जा नहीं है और पैरा 9 में इंकार किया है कि जहां सर्वे क्रमांक 193 है उस पर वादी का कब्जा है।

25. कब्जे के प्रयास के संबंध में वादी गोविन्द व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि बयनामे के आधार पर वादीगण के अधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 193 पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करना चाहता है। जबकि उसका इन्द्राज खसरा क्रमांक 186 पर है जो विवादित खेत से उत्तर में काफी दूरी पर स्थित है जबकि वादीगण का खेत सड़क से लगा हुआ है। प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने विवादित भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश की जिसकी रिपोर्ट उसने एस.डी.ओ. गोहद व थाना प्रभारी मौ को की। दिनांक 18.10.14 को भी प्रतिवादी ने जबरन कब्जा करने की धमकी दी तब वादी ने नायब तहसीलदार मौ व थाना मौ में रिपोर्ट की। हुकुमसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 18.10.14 को प्रतिवादी प्रेमनाथ व प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने रामबाबू आदि की विवादित भूमि पर मिट्टी डालकर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी तब विवाद पैदा हुआ था। हुकुमसिंह ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में कथन किया है कि दिनांक 18.10.14 को वह कहा था वह नहीं बता सकता है और उसने शपथपत्र में नहीं लिखाया है कि प्रतिवादी प्रेमनाथ ने वादी को धमकी दी थी। कृपालसिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी।

26. प्रतिवादीगण ने भूमि सर्वे क्रमांक 186 पर स्वयं का स्वत्व बताया है और उनकी प्रमुख आपत्ति है कि बंदोवस्त उपरांत नक्शे में जिस स्थान पर सर्वे क्रमांक 193 अंकित किया गया है वह वस्तुतः सर्वे क्रमांक 186 होकर प्रतिवादी के स्वत्व व अधिपत्य की है। सर्वे क्रमांक 186 कृपालसिंह प्र.सा.1 ने पट्टे पर प्राप्त होना बताया है लेकिन कोई पट्टा पेश नहीं किया है और अधिकार विलेख के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी ने भी खसरा संवत् 2043 में गलत दायरा क्रमांक उल्लिखित कर प्रेमनाथ का इन्द्राज होना बताया है और दायरा रजिस्टर प्र0पी-4 भी पेश किया है। परन्तु स्वयं वादी ने खसरा संवत् 2043 साक्ष्य में पेश नहीं किया है। अतः उक्त दायरा प्र0पी-4 के आधार पर प्रतिवादी की प्रविष्टि अवैध नहीं मानी जा सकती है। लेकिन आदेश प्र0पी-1 में अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रेमनाथ का राजस्व अभिलेख में भूस्वामी इन्द्राज होना वर्णित किया गया है। उक्त आदेश के संबंध में वादोत्तर और मौखिक साक्ष्य में कृपालसिंह प्र.सा.1 ने वर्णित किया है कि तहसीलदार से मिलकर वादीगण ने अवैध आदेश प्राप्त किया है। लेकिन दो वर्ष की अवधि में आदेश प्र0पी-1 को प्रतिवादी ने चुनौती दी है। इस संबंध में ना तो साक्ष्य पेश की है और ना ही अभिवचन किया है। अतः आदेश प्र0पी-1 के प्रभाव से राजस्व अभिलेख में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 अथवा प्रतिवादी क्रमांक 2 का वाद प्रस्तुति दिनांक को इन्द्राज नहीं है जिससे खसरा प्र0डी-4 की प्रविष्टि वर्तमान में प्रभावशील नहीं मानी जा सकती है।

27. वादीगण ने बटांकन प्र0पी-7 प्रस्तुत किया है जिसमें सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा 0.310 है0 प्रेमनाथ को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में भी आदेश प्र0पी-6 के द्वारा बटांकन निरस्त किया जा चुका है। कृपालसिंह प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बटांकन निरस्त होने की जानकारी से इंकार किया है लेकिन आदेश प्र0पी-6 में प्रेमनाथ पक्षकार है जिसमें प्रेमनाथ को आहूत किया जाना उल्लिखित है। अतः जानकारी का अभाव स्पष्ट नहीं होता है और आदेश प्र0पी-6 को भी प्रतिवादी ने चुनौती दिया जाना नहीं वर्णित किया है। अतः बटांकन उपरांत भी सर्वे क्रमांक 131/4 पर प्रतिवादी का स्वत्व होना स्पष्ट नहीं होता है।
28. वादी द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है कि सर्वे क्रमांक 131 मिन रकवा का सर्वे क्रमांक 186 बना है जोकि चरनोई की भूमि है। जिसे प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने भी मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया है और यह आपत्ति है कि बंदोवस्त के नक्शे में गलत इन्द्राज किया गया है। री-नंबरिंग पर्चा प्र0पी-9 है। सर्वे क्रमांक 131 का नया नंबर 186 बना है और रकवा खसरा प्र0पी-5 में चरनोई अंकित था। जोकि चुनौतीविहीन आदेश प्र0पी-1 से भी पुनः चरनोई अंकित कर दिया गया है और खसरा प्र0डी-4 की प्रविष्टि प्रभावहीन हो गयी है। नक्शे में त्रुटि से गोविन्दसिंह ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में इनकार किया है। उक्त त्रुटि के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किए जाने के दस्तावेज पेश किए जाने से कृपालसिंह प्र.सा.1 ने भी पैरा 7 में इंकार किया है। अतः बंदोवस्त की त्रुटि को प्रतिवादी द्वारा ही चुनौती नहीं दी गयी है। वर्तमान में प्रतिवादी का ना तो सर्वे क्रमांक 193 और ना ही सर्वे क्रमांक 186 पर स्वत्व होना प्रतीत हुआ है। अक्स प्र0डी-2 में सर्वे क्रमांक 193 और सर्वे क्रमांक 186 में पर्याप्त दूरी है और बंदोवस्त के पूर्व के अक्स प्र0डी-3 में पुख्ता बटांकन सर्वे क्रमांक 131 के वर्णित नहीं है और सर्वे क्रमांक 131 के किसी भी बटांकन पर प्रतिवादी का स्वत्व होना स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः प्रथमतः ना तो प्रतिवादी ने बंदोवस्त की त्रुटि को चुनौती दी है और ना ही सर्वे क्रमांक 131 के किसी भाग पर उसका स्वत्व सिद्ध हुआ है। अतः बंदोवस्त की त्रुटि प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः प्रेमनाथ के स्वत्व के अभाव में बयनामा प्र0डी-5 से कृपालसिंह प्र.सा.1 को भी स्वत्व प्राप्त होना सिद्ध नहीं होता है।
29. गोविन्दसिंह वा.सा.1 ने सर्वे क्रमांक 193 पर वादीगण का अधिपत्य होना बताया है। हुकुमसिंह वा.सा.2 ने सर्वे क्रमांक 193 की चतुरसीमा बताने में असमर्थता व्यक्त कर स्वयं का बीस वर्ष से बटाईदार होने की अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है और इस कारण हुकुमसिंह वा.सा.2 के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अधिपत्य के संबंध में गोविन्दसिंह द्वारा दिए गए कथन का कृपालसिंह प्र.सा.1 ने अपने कथन से खण्डन किया है लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य से सर्वे क्रमांक 193 सही स्थान पर वादीगण के स्वत्व का होना उपरोक्तानुसार प्रमाणित हुआ है। अतः संभावना की प्राबल्यता के आधार पर सर्वे क्रमांक 193 पर वादीगण का स्वत्व होने से वादीगण का अधिपत्य भी प्रमाणित होता है।
30. हुकुमसिंह वा.सा.2 ने गोविन्दसिंह वा.सा.1 के इस कथन का प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में समर्थन नहीं किया है कि प्रेमनाथ ने वादी को विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी थी और कृपालसिंह प्र.सा.1 ने भी पैरा 7 में धमकी दिए जाने से इंकार किया है। सर्वे क्रमांक 193 पर वादीगण का स्वत्व व अधिपत्य प्रमाणित हुआ है। जिसका अभिवचन में प्रतिवादीगण ने खण्डन किया है। अतः

प्रतिवादीगण द्वारा अभिवचन व मौखिक साक्ष्य में वादी के अधिपत्य से इंकार किए वादीगण के अधिपत्य के अधिकार को अकर्मित किए जाने का प्रयास किया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किए जाने का प्रयास किया जाना भी प्रमाणित होता है।

31. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि बंदोवस्त के दौरान नवीन नक्शे प्र०डी-2 में सर्वे क्रमांक 186 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 193 अंकित कर दिया गया है। अपितु यह प्रमाणित हुआ है कि सर्वे क्रमांक 193 पर जो अक्स प्र०डी-2 में अंकित है, वादीगण का अधिपत्य है।
32. अतः वादप्रश्न क्रमांक 2 का विनिश्चय साबित व वादप्रश्न क्रमांक 5 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 03 पर सकारण निष्कर्ष //

33. प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि वाद अवधि बाह्य पेश किया गया है। बटांकन की जानकारी होने के संबंध में वादी गोविन्द व.सा.1 से पैरा 9 में प्रश्न पूछने जाने पर उसने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि उसे बटांकन की जानकारी कब हुई और पैरा 10 में भी वादी गोविन्द व.सा.1 ने इस संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है कि बंदोवस्त के पूर्व उसे जानकारी थी कि भूमि का स्वामी प्रतिवादी प्रेमनाथ है। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में कथन किया है कि जब वर्ष 1992-93 में उसने अपील की थी तब से उसे जानकारी थी कि सर्वे क्रमांक 131 में प्रतिवादी प्रेमनाथ का स्वत्व है।
34. वर्तमान वाद स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी के अभिवचन के अनुसार दिनांक 18.10.14 को कब्जा करने की धमकी दिए जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। गोविन्दसिंह व.सा.1 ने बटांकन की जानकारी और बंदोवस्त के पूर्व की जानकारी के संबंध में स्वयं की जानकारी के तथ्य छिपाये हैं। लेकिन बटांकन आदेश प्र०पी-6 से निरस्त हो चुका है। जिसे प्रतिवादी ने चुनौती नहीं दी है और उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य और प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः घोषणा हेतु वाद कारण से वादी द्वारा परिसीमा अवधि में वाद पेश किया जाना प्रमाणित होता है और निषेधाज्ञा हेतु भी वादीगण के अधिपत्य के अधिकार के अक्रमण की दिनांक से परिसीमा अवधि में वाद पेश किया जाना प्रमाणित होता है।
35. अतः इस वाद प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जात है।

// वादप्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष //

36. प्रतिवादी कृपालसिंह प्र.सा.1 ने कथन किया है कि वादीगण ने गलत मालियती के साथ दावा पेश किया है। वादी गोविन्द व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में विवादित भूमि की कीमत अथवा खेरिया जल्लू की भूमि की कीमत की जानकारी होने से इंकार किया है।
37. वर्तमान वाद वादी ने स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया

है। इस वाद में निषेधाज्ञा का अनुतोष, घोषणा का पारिणामिक अनुतोष नहीं है। घ गोषणा हेतु वादपत्र के अभिवचन के अनुसार वाद का मूल्यांकन भू-राजस्व 2/-रूपये के बीस गुना के आधार पर 40 रूपय कायम किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **मूलचन्द बनाम खुर्शीद बी ए.आई.आर. 1984 म.प्र. 32** अवलोकनीय है जिसके अनुसार ऐसी भूमि जो भू-राजस्व देय है, के संबंध में प्रस्तुत वाद भी क्षेत्राधिकार हेतु मूल्यांकन जहांकि घोषणा का अनुतोष चाहा गया है भू-राजस्व के बीस गुना से अधिक नहीं होगा।

38. अतः घोषणा हेतु वाद का मूल्यांकन भू-राजस्व के बीस गुना के आधार पर किया गया वह सही है। उक्त मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 17 के अधीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष निश्चित न्यायशुल्क पाँच सौ रूपय देय होगा जो वादी द्वारा संदाय किया गया है। अतः घ गोषणा हेतु वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है।

39. निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(4)(डी) के अधीन वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करने हेतु स्वतंत्र है जो वर्तमान वाद में वादी ने पाँच सौ रूपय किया है। उक्त रकम किस आधार पर अनुचित है यह प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है जो जहां की भूमि भू-राजस्व देय भूमि है वहां बाजार मूल्य से मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अतः वादी द्वारा निषेधाज्ञा हेतु किया गया मूल्यांकन पाँच सौ रूपय अनुचित होना प्रतित नहीं होता है। उक्त मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अधिनियम के प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1क के अधीन 12 प्रतिशत की दर से न्यूनतम सौ रूपय न्यायशुल्क देय होगा जो वादी द्वारा संदाय किया है। अतः निषेधाज्ञा हेतु वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है।

40. अतः इस वाद प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 07 पर सकारण निष्कर्ष//

41. वर्तमान वाद वादी ने स्वत्व होने के आधार पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। उपरोक्त विवेचना अनुसार बंदोवस्त की त्रुटि को प्रतिवादी प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः जबकि बंदोवस्त की त्रुटि प्रमाणित नहीं है तब स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु इस न्यायालय को धारा 9 सीपीसी के अधीन विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि धारा 257 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अधीन इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है।

42. अतः इस वाद प्रश्न का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 06 पर सकारण निष्कर्ष//

43. अतः उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहता है।

44. अतः वाद स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. यह घोषित किया जाता है कि भूमि खसरा क्रमांक 193 रकवा 0.10 है0 स्थित ग्राम खेरिया जल्लू तहसील गोहद जिला भिण्ड पर वादीगण का स्वत्व व अधिपत्य है।

2. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 193 पर वादीगण के अधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से विधि की प्रक्रिया के विरुद्ध अवैधानिक हस्तक्षेप न करें।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 स्वयं के साथ वादीगण का आनुपातिक वाद व्यय वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही/—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)